



उदाहरणार्थ - यदि मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्गमीटर है तथा इस भूखण्ड के अंश को मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत प्रोजेक्ट हेतु दो भागों में उप-विभाजित किया जाता है तो सम्पूर्ण भूखण्ड पर उप-विभाजन शुल्क से छूट होगी परन्तु उक्त 20000 वर्गमीटर भूमि को क्रमशः 7000 वर्गमीटर मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु 8000 वर्गमीटर सामान्य ग्रुप हाउसिंग तथा 7000 वर्गमीटर भूमि अन्य ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु प्रस्तावित होने पर 7000 वर्गमीटर जिसका उपयोग मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु किया जाना प्रस्तावित है, उस पर उप-विभाजन शुल्क 100 प्रतिशत छूट देया होगी, परन्तु शेष दो भूखण्डों क्रमशः 6000 वर्गमीटर व 7000 वर्गमीटर जिनका उपयोग अन्य ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु प्रस्तावित है उन पर नियमानुसार उप-विभाजन शुल्क देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश सिंह शेखावल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. अतिरिक्त उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. राक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक